भारत सरकार
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय
युवा कार्यक्रम विभाग
रा.से.यो. क्षेत्रीय निदेशालय
उत्तर प्रदेश एंव उत्तराखंड
लखनऊ

सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of Youth Affairs & Sports
Department of Youth Affairs
Regional Directorate of NSS
Uttar Pradesh & Uttarakhand
Lucknow

सं0 8-3/रासेयो/क्षेनि./लख/2025-26 / 5120 - 5123 दिनांक: अगस्त 08, 2025

सेवा में,

प्राचार्य,
इन्वर्टीस यूनिवर्सिटी, बरेली, उत्तर प्रदेश

विषय : राष्ट्रीय सेवा योजना- स्ववित्त पोषित इकाई (Self Finance Units) संचालन संबंधी।

महोदय/महोदया,

बड़े हर्ष के साथ आपको अवगत कराना है कि राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत **01** स्ववित्त पोषित इकाई संचालन हेतु आपके संस्थान द्वारा आवेदन किया गया था। आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र पर समिति की सहमति के आधार पर आपके संस्थान को राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत स्ववित्त पोषित इकाई हेतु **01** इकाई (**100** छात्र) **संलग्न दिशा-निर्देशों का अनुपाल सुनिश्चित करते हुए संचालित करने की अनुमति केवल 02 वर्ष के लिए प्रदान की जाती है।**

राष्ट्रीय सेवा योजना की विस्तृत जानकारी हेतु इंटरनेट पर उपलब्ध NATIONAL SERVICE SCHEME MANUAL (REVISED), 2006 का अवलोकन किया जा सकता है तथा उसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। संलग्न दिशा निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम अधिकारी, स्वयंसेवक का डाटा विवरण एवं गतिविधियों की आख्याएं समय से प्राप्त न होने पर इकाई को स्वतः निरस्त माना जाएगा।

इकाई संचालन के संबंध में अन्य जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी कार्यालय, डा. मंजू सिंह, राज्य रा.से.यो. अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ (मो.नं.- 9026847734) एवं डॉ. सोमपाल सिंह, कार्यक्रम समन्वयक, रा.से.यो. महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय,बरेली (मो.नं.-9411485252) से सम्पर्क किया जा सकता है।

भवदीय

(समर दीप सक्सेना)
क्षेत्रीय निदेशक

संलग्नक: उक्तवत्

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. **निदेशक, भारत सरकार,** राष्ट्रीय सेवा योजना निदेशालय, नई दिल्ली।
2. **राज्य रा.से.यो. अधिकारी,** उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. **कार्यक्रम समन्वयक रा.से.यो.,** संबंधित विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

8वाँ तल, हाल नं0-1, केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ-226024 (उ0प्र0)
8th Floor, Hall No.-1, Kendriya Bhawan, Aliganj, Lucknow-226024 (U.P.)
E-mail : nssrc.lu-up@gov.in, nssrclucknow@gmail.com दूरभाष/Telephone No.: 0522-2337066/4079533
X NSSRDUPUK uttarpradeshnss uttarakhandnss nssrdlucknow nssrdlucknow

राष्ट्रीय सेवा योजना- स्ववित्त पोषित इकाई (Self Finance Units) संचालन हेतु अनिवार्य दिशा-निर्देश:-

1. प्रत्येक इकाई के लिए एक कार्यक्रम अधिकारी का चयन एवं एक अभिगृहित गावं/मलिन बस्ती गोद लेना अनिवार्य है।
2. प्रत्येक इकाई द्वारा रा.से.यो. गतिविधियों को समुचित बैनर (NSS Logo एवं MY Bharat Logo का प्रयोग करते हुए) के साथ ही आयोजित करनी है तथा आयोजित गतिविधियों की मासिक आख्या प्रत्येक माह की दिनांक 25 तक संदर्भित कार्यक्रम समन्वयक को उपलब्ध कराना है, जिसकी प्रति इस कार्यालय एवं राज्य रा.से.यो. प्रकोष्ठ, उत्तर प्रदेश शासन को भी प्रेषित करना है।
3. प्रत्येक इकाई के समस्त स्वयंसेवकों एवं चयनित कार्यक्रम अधिकारी का डाटा विवरण निर्धारित प्रपत्र (एक्सेल शीट) पर आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जाना है।
4. प्रत्येक संस्था को MY Bharat पोर्टल पर KI (Knowledge Institution) के रूप में पंजीकरण अनिवार्य है तथा MY Bharat पोर्टल पर ही समस्त कार्यक्रम अधिकारियों एवं समस्त स्वयंसेवकों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से किया जाना है। **MY Bharat पोर्टल से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी हेतु रा.से.यो. क्षेत्रीय निदेशालय के श्री शुभंकर सिंह, आशुलिपिक (मो.नं.- 7906401652) एवं श्री रोशन सिंह, यंग प्रोफेशनल (मो.नं.- 9557860720) से सम्पर्क किया जा सकता है।**
5. रा.से.यो. के अंतर्गत आयोजित की जाने वाली समस्त गतिविधियों को आयोजन से पूर्व एवं आयोजन के पश्चात MY Bharat पोर्टल पर इवेंट क्रिएट किया जाना है।
6. रा.से.यो. इकाई के कार्यक्रम अधिकारी का पृथक से ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम एकाउन्ट होना अनिवार्य है, जिसपर कि समस्त गतिविधियों को अपलोड किया जाए तथा निम्न सोशल मीडिया एकाउन्ट को टैग एवं फॉलो किया जाना है-

Twitter	@YASMinistry	@NSSRDUPUK	@_NSSIndia	@mybharatgov
Facebook	@yasministry	@NSSGOI	@uttarpradeshnss @uttarakhandnss	@mybharatgov
Instagram	@yasministryindia	@_nssindia	@nssrdlucknow	@mybharatgov
Youtube	@yasministry	@nationalserviceschemeoffic4034	@nssrdlucknow	@mybharatgov

7. प्रत्येक वर्ष रा.से.यो. इकाई संचालन हेतु स्वयंसेवकों से संकलित धनराशि एवं उसके सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का व्यय विवरण इस कार्यालय को प्रेषित करना है।

(समर दीप सक्सेना)
क्षेत्रीय निदेशक